

FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)APP-A  
crim-I

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

सुन्दरलाल बनाम मोहनी काई  
सं. 131/वाद/23 सन्

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज   | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|---|--|
| 6.10.23    | वाद पत्र/प्रार्थनापत्र धारा 88, 92A, 53, 188 RT Act के तहत एवं प्रार्थना पत्र 80(2) सी.पी.सी. के साथ वकील श्री सीताराम नागर ने पेश किया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र 80(2) सी.पी.सी. पर वकील वादी/प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र/प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करने की अनुमति दी जाती है। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 6-2-24 को पेश हो। |  |
| 10.10.23   | पत्रावली वकील काई के प्रार्थना पत्र वास्ते विज्ञो करने वाद पत्र हेतु पेश किया। वकील काई ने निवेदन किया कि वादीगण वाद को नसीचलाना चाहते हैं अतः वाद विज्ञो किये जाने से वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से क्रम की जाकर वाद तक्रमील दारिखल दफ्तर हो।  |  |

उपखण्ड अधिकारी  
नैनवां (बून्दी)